

	0522-2287076 (ई0पी0वी0एक्स0)
फोन नं0-	0522-2287243 (अध्यक्ष)
	0522-2288311 (सचिव)
फैक्स नं0-	0522-2287215

उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग



हमारा संकल्प – “पिछड़े वर्गों का उत्थान एवं हित संरक्षण”

तृतीय तल, इन्दिरा भवन,
अशोक मार्ग, लखनऊ

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अध्याय-2 के 4-(1)(बी) के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग, की प्रस्तरवार सूचना/विवरण निम्नवत् है :-

1

संगठन की विशिष्टता, कृत्य और कर्तव्य :-

भारत के संविधान में समाज के पिछड़े वर्गों के लिए विशेष सुविधायें एवं सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गयी है। ताकि इन जातियों/वर्गों का बहुमुखी विकास एवं जीवन स्तर अन्य वर्गों के समान हो सके। इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा गठित बीपीओ मण्डल आयोग की संस्तुतियों के सन्दर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय की नौ सदस्यीय विशेष संविधान पीठ ने इन्द्रा साहनी बनाम भारतीय संघ वाद में अपने ऐतिहासिक फैसले सन् 1992 में परमादेश जारी किया गया कि अन्य पिछड़े वर्गों में जातियों को निष्कासित करने के सम्बन्ध में प्रत्येक राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे ट्रिब्यूनल या आयोग गठित किए जायेंगे जो शासन को अपनी संस्तुतियाँ प्रस्तुत करेंगे। जिन्हें राज्य सरकार सामान्यतया मानने के लिए बाध्य होगी। अतः राज्याधीन आदि सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों को अनुमन्य आरक्षण हेतु पिछड़े वर्गों की सूची में अपेक्षित समावेश अथवा निष्कासन करने एवं तत्सम्बन्धी शिकायतों पर सम्यक् रूप से विचार कर संस्तुति देने हेतु महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश द्वारा एक स्थायी आयोग के गठन/स्थापना की सहर्ष स्वीकृति शासनादेश संख्या 22/16/92 –कार्मिक-2 दिनांक 09 मार्च, 1993 द्वारा प्रदान की गयी है। आयोग में माननीय अध्यक्ष एवं माननीय सदस्यों के सितम्बर 1993 में कार्यभार ग्रहण करने के साथ अस्तित्व में आया।

उत्तर प्रदेश सरकार के विधायी अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-34/XVII-V-1-1(KA)44-1996, Dated Lucknow, January 5, 1996 द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए उत्तर प्रदेश राज्य आयोग अधिनियम-1996 लागू किया गया। जिसमें एक अध्यक्ष एवं चार सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाने की व्यवस्था थी, तदोपरान्त विधायी अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1187/79-वि-1-07-01-(क) 29-2007 लखनऊ, 09 जुलाई, 2007 द्वारा उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2007 निर्गत किया गया। जिसके द्वारा अधिनियम को संशोधित करके आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सत्रह सदस्यों, जिनमें से अध्यक्ष सहित सोलह सदस्य पिछड़ा वर्गों से होने और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या प्रत्येक सदस्य अपना पद ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष के कार्यकाल के लिए या राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करने और अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को क्रमशः राज्य मंत्री एवं उपमंत्री की प्रार्थिति प्राप्त होने की व्यवस्था दी गयी। इसके बाद विधायी अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 323/79-वि-1-14-1-(क)7-2014 लखनऊ, 04 मार्च, 2014 द्वारा उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2014 निर्गत किया गया, जिसके द्वारा अन्य सदस्यों की संख्या को सत्रह से बढ़ाकर पच्चीस कर दी गयी और अल्पसंख्यक समुदाय से कम से कम एक प्रतिनिधि आयोग में सदस्य के रूप में नाम-निर्दिष्ट करने की व्यवस्था कर दी गयी है।

आयोग के कार्य :-

- (क) आयोग अनुसूची में किसी वर्ग के नागरिकों को पिछड़े वर्ग के रूप में सम्मिलित किये जाने के अनुरोधों का परीक्षण करेगा और अनुसूची में किसी पिछड़े वर्ग के गलत सम्मिलित किये जाने या न किए जाने की शिकायतें सुनेगा, और राज्य सरकार को ऐसी सलाह देगा, जैसी वह उचित समझे।
- (ख) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पिछड़े वर्गों के लिए उपबन्धित रक्षोपायों से सम्बन्धित सभी मामलों का अन्वेषण और अनुश्रवण करेगा और ऐसे रक्षोपायों के प्रणाली का मूल्यांकन करेगा।
- (ग) पिछड़े वर्गों के अधिकारों से वंचित किये जाने के सम्बन्ध में विशिष्ट शिकायतों की जाँच करेगा।
- (घ) पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और उस पर सलाह देना और उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।
- (ङ) राज्य सरकार को उन रक्षोपायों की कार्यप्रणाली पर वार्षिक और ऐसे अन्य समयों पर जैसा आयोग उचित समझे, प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।
- (च) पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए उन रक्षोपायों और अन्य उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ऐसे प्रतिवेदन में उन उपायों के सम्बन्ध में, जो राज्य सरकार द्वारा किए जायें, सिफारिश करना।
- (छ) पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण, विकास और अभिवृद्धि के सम्बन्ध में ऐसे अन्य कृत्यों का, जो राज्य सरकार द्वारा उसको निर्दिष्ट किये जाये, निर्वहन करना।

आयोग की शक्तियाँ :-

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम संख्या-1, सन् 1996 की धारा-9 की उपधारा (1) के अधीन अपने कृत्यों का पालन करते समय किसी वाद का विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की सभी और विशेषतः निम्नलिखित बातों के सम्बन्ध में शक्तियाँ प्राप्त होगी, अर्थात् :-

- (क) किसी व्यक्ति को सम्मन करना और उसे उपस्थित होने के लिए बाध्य करना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना।
- (ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना।
- (ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना।
- (घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक दस्तावेज की या उसकी प्रतिलिपि की अधियाचना करना।
- (ङ) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना।

(च) अन्य कोई विषय जो विहित किया जाये।

आयोग अधिनियम की धारा-5(1) में प्राविधानित है कि राज्य सरकार आयोग को एक सचिव और ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध करायेगी जो आयोग के कृत्यों के दक्षता पूर्वक पालन करने के लिए आवश्यक हों। अतः नियमों के अनुरूप आयोग के निर्देश/आदेश ही आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों के कर्तव्य हैं।



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

Extraordinary

भाग-2 अनुभाग क

Part-II Section IA

प्राधिकार में प्रकाशित

Published by Authority

नई दिल्ली शुक्रवार 05 जनवरी 1996, 15 पौष 1917 (शक){खण्ड XXX}

New Delhi Friday 05 January 1996 Paush 15, 1917 (Shaka) {Vol.- XXX}

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Seperate Paging is given to this part in order that it may be used as seperate compilation

विधि न्याय की कम्पनी कार्य मंत्रालय

विधायी विभाग

नई दिल्ली, 5 जनवरी/1996/15 पौष, 1917 (शक)

राष्ट्रपति का निम्नलिखित अधिनियम साधारण जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है-

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग

अधिनियम, 1996

(1996 का राष्ट्रपति अधिनियम संख्यांक-1)

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा अधिनियमित

(5 जनवरी 1996)

उत्तर प्रदेश राज्य के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से भिन्न पिछड़े वर्गों के लिए आयोग के गठन और उससे सम्बन्धित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1995 की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित करते हैं;

1996 का

अध्याय-1

प्रारम्भिक

- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अधिनियम 1996 है।

संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ

- (2) यह 17 नवम्बर 1994 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

(क) “पिछड़ा वर्ग” से नागरिकों के ऐसे वर्ग अभिप्रेत हैं जो समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 की धारा 2 के खण्ड (ख) में परिभाषित हैं ;

(ख) “आयोग” से धारा 3 के अधीन गठित पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अभिप्रेत हैं ;

(ग) “सदस्य” से आयोग का सदस्य अभिप्रेत हैं और इसमें अध्यक्ष भी सम्मिलित हैं ;

(घ) “अनुसूची” के समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 की अनुसूची-1 अभिप्रेत है।

अध्याय 2

पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग

पिछड़ा वर्ग
राज्य आयोग
का गठन

3

(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन उसे प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग और समनुदेशित कृत्यों का पालन करने के लिए एक निकाय का गठन करेगी, जिसे पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग कहा जाएगा।

(2) आयोग का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जैसा राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

* (3) यह दिनांक 15 जून, 2007 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

राष्ट्रपति
अधिनियम
संख्या-1 1996
की धारा 3 का
संशोधन

2- उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अधिनियम, 1996 की जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में, उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात:-

“(3) आयोग में प्रतिष्ठा, योग्यता और सत्यनिष्ठा वाले व्यक्तियों में से राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक, अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सत्रह अन्य सदस्य होंगे”।

धारा-4 का
संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 4 में,-

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:-

राष्ट्रपति
अधिनियम
संख्या-1 सन्
1996 की धारा
3 का संशोधन

(1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या प्रत्येक अन्य सदस्य अपना पद ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष के कार्यकाल के लिये पद धारण करेंगे,

परन्तु यह कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य इस रूप में अपना पद राज्य सरकार के प्रसादपर्यन्त धारण करेंगे।

(ख) उपधारा (3) निकाल दी जायेगी।

(ग) उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:-

“(6) (क) अध्यक्ष को राज्य के राज्यमंत्री की प्रास्थिति प्राप्त होगी,

(ख) उपाध्यक्ष को राज्य के उपमंत्री की प्रास्थिति प्राप्त होगी,”

**1- यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग संशोधन अधिनियम 2014 कहा जायेगा।

2- यह दिनांक 17 फरवरी 2014 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

3- उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अधिनियम, 1996 जिसे

आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 की उपधारा (3) में-

(क) शब्द “सत्रह अन्य सदस्य” के स्थान पर शब्द “पच्चीस अन्य सदस्य” रख दिये जायेंगे

(ख) अन्त में निम्नलिखित परंतुक और स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:-

“परन्तु यह कि अल्पसंख्यक समुदाय से कम से कम एक प्रतिनिधि आयोग में सदस्य के रूप में नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा।

स्पष्टीकरण:- इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ शब्द ‘अल्पसंख्यक’ का अर्थ वही होगा जैसा उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1994) में परिभाषित है।”

- (4) उपधारा (2) के अधीन कार्यरत या अन्यथा होने वाली रिक्ति नई नियुक्ति द्वारा भरी जायेगी।
- (5) अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं।

*उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2007

संख्या-1187/79-वि-1-07-01-(क)29-2007 लखनऊ, 09 जुलाई, 2007

**उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2014
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 2014) उत्तर प्रदेश शासन विधायी
अनुभाग-1 संख्या-323/79-वि-1-14-1(क)-7-2014, लखनऊ, 04 मार्च, 2014

5. (1) राज्य सरकार आयोग के लिए सचिव और ऐसे सक्षम अधिकारियों और कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी जो आयोग के कृत्यों को दक्षतापूर्ण पालन करने के लिए आवश्यक हो।

(2) आयोग के प्रयोजन के लिए नियुक्त सचिव और अन्य अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी श्रेणी के अन्य निबन्धन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं।
6. अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्तों का तथा प्रशासनिक व्ययों का, जिनके अन्तर्गत धारा-5 में निर्दिष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के संदेय, वेतन भत्ते, और पेंशन है, धारा 13 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदाय किया जायेगा।
7. आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी कि आयोग में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है।
8. (1) आयोग का अधिवेशन, जब भी आवश्यकता हो, ऐसे समय और स्थान पर होगा, जो अध्यक्ष ठीक समझे।

(2) आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगा।

(3) आयोग के सभी आदेश और विनिश्चय सचिव द्वारा या इस निमित्त सचिव द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे।

आयोग के
अधिकारी और
अन्य कर्मचारी

वेतन और भत्तों
का अनुदानों में से
संदाय

रिक्तियों आदि से
आयोग की
कार्यवाहियों का
अविधिमान्य न
होना।

प्रक्रिया का आयोग
द्वारा विनियमित
किया जाना।

अध्याय-3

आयोग के कृत्य और शक्तियां

9

(1) आयोग निम्नलिखित सभी या किसी कृत्य का पालन करेगा, अर्थात्-

आयोग के कृत्य

(क) आयोग अनुसूची में किसी वर्ग के नागरिकों को पिछड़े वर्ग के रूप में सम्मिलित किए जाने के अनुरोधों की जांच करेगा और ऐसी अनुसूची में किसी पिछड़े वर्ग के गलत सम्मिलित किये जाने या सम्मिलित न किए जाने की शिकायतों की सुनवाई करेगा और राज्य सरकार को ऐसी सलाह देगा, जैसी वह उचित समझे ;

(ख) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन या राज्य सरकार के किसी आदेश के अधीन पिछड़े वर्गों के लिए उपबन्धित रक्षोपायों से सम्बन्धित सभी मामलों का अन्वेषण और अनुश्रवण करना और ऐसे रक्षोपायोंकी प्रणाली का मूल्यांकन करना ;

(ग) पिछड़े वर्गों के अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित किए जाने के सम्बन्ध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना;

(घ) पिछड़े वर्गों के सामाजिक, आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और उन पर सलाह देना और उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना ;

(ङ) राज्य सरकार को उन रक्षोपायोंकी कार्य प्रणाली पर वार्षिक और ऐसे अन्य समयों पर जैसा आयोग उचित समझे, रिपोर्ट प्रस्तुत करना ;

(च) पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए उन रक्षोपायों और अन्य उपायों के, प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ऐसी रिपोर्टों में उन उपायों के सम्बन्ध में जो राज्य सरकार द्वारा किए जाएँ, सिफारिश करना;

(छ) पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण, विकास और अभिवृद्धि के सम्बन्ध में ऐसे अन्य कृत्यों का जो राज्य सरकार द्वारा उनको निर्दिष्ट किए जाएं, निर्वहन करेगा ;

2.

राज्य सरकार, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष,आयोग की रिपोर्ट और उसके साथ उसकी सिफारिशों पर की गयी या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही और ऐसी किसी सिफारिश का अस्वीकार किए जाने के कारण, यदि कोई हो, का स्पष्टीकरण देते हुए ज़ापन रखवायेगी।

आयोग की
शक्तियां

10. आयोग को धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन अपने कृत्यों का पालन करने, शक्ति और विशिष्टियां निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में वे सभी शक्तियां होंगी, जो किसी वाद का निवारण करते समय सिविल न्यायालय को होती है अर्थात्-

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसे हाजिर करना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना ;

(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना ;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करना ; और

(ङ) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना ; और

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए।

राज्य सरकार
द्वारा अनुसूची
का नियतकालिक
पुनरीक्षण

11 (1) राज्य सरकार किसी भी समय अनुसूची से उन वर्गों की, जो पिछड़े वर्ग नहीं रह गये हैं, निकालने या नये पिछड़े वर्गों को सम्मिलित करने की दृष्टि से अनुसूची का पुनरीक्षण कर सकती है और इस अधिनियम के प्रवृत्त होने से दस वर्ष की समाप्ति पर और उसके पश्चात् दस वर्ष की प्रत्येक उत्तरवर्ती अवधि की समाप्ति पर ऐसा पुनरीक्षण करेगी।

(2) राज्य सरकार उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई पुनरीक्षण करते समय आयोग से परामर्श करेगी।

अध्याय- 4

वित्त, लेखा और सम्परीक्षा

12

(1) राज्य सरकार, राज्य विधान-मण्डल द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात्, आयोग को अनुदानों के रूप में ऐसी धनराशियों का संदाय करेगी जो राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए ठीक समझें।

(2) आयोग इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए ऐसी धनराशि खर्च कर सकेगा, जो वह ठीक समझें और यह धनराशि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदेय व्यय मानी जाएगी।

राज्य सरकार द्वारा
अनुदान।

- | | | |
|-----|---|---|
| 13 | <p>(1) आयोग, उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेखों को रखेगा और लेखाओं का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से तैयार करेगा जो विहित की जाए।</p> <p>(2) आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा, लेखा परीक्षा के द्वारा ऐसे अन्तरालों पर की जाएगी जो विहित किए जाएं।</p> <p>(3) लेखा परीक्षक की बहियों, लेखाओं सम्बन्धित बाउचरों और अन्य दस्तावेजों और पत्रादि को पेश करने की अपेक्षा करने और आयोग के किसी कार्यालय का निरीक्षण करने की ऐसी शक्ति होगी, जो विहित की जाए।</p> | लेखा और संपरीक्षा |
| 14. | आयोग, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे प्रारूप में और ऐसे समय पर जो विहित किया जाए, अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों का पूरा विवरण होगा और उसकी एक प्रति राज्य सरकार को भेजेगा। | वार्षिक रिपोर्ट |
| 15. | राज्य सरकार वार्षिक रिपोर्ट और साथ ही धारा 9 के अधीन आयोग द्वारा दी गई सलाह पर की गई कार्यवाही का और यदि ऐसी सलाह अस्वीकृत की गई है तो अस्वीकृति के कारणों का ज्ञापन तथा संपरीक्षा रिपोर्ट उनके प्राप्त होने के पश्चात यथाशीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी। | वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षा रिपोर्ट का राज्य विधान-मण्डल के समक्ष रखा जाना |

अध्याय- 5

प्रकीर्ण

- | | | | |
|------------|-----|--|--|
| 1860 का 45 | 16. | <p>आयोग का अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझे जाएंगे।</p> | <p>आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना।</p> |
| | 17. | <p>(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।</p> <p>(2) विशिष्टतया और पूर्वनामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात्-</p> | <p>नियम बनाने की शक्ति</p> |

(क) धारा 4 की उपधारा (8) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों को और धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें;

(ख). यह प्रारूप जिसमें लेखाओं का वार्षिक विवरण धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया जायेगा।

(ग) प्रपत्र, जिसमें और समय जब धारा 14 के अधीन वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जायेगी।

(घ) कोई अन्य विषय जिसे विहित किये जाने की अपेक्षा की जाय या विहित किया जाय।

शक्ति

18. जो कोई, धारा 10 के अधीन आयोग के किसी आदेश या निदेश का पालन करने के लिये वैध रूप से आवद्ध होते हुए इस आदेश या निर्देश की जानबूझ कर अवज्ञा करें वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 174, 175, 176, 178, 179 या 180 के अधीन, जैसी भी स्थिति हो दण्डनीय होगा।

अपराध का
संज्ञान

19- कोई न्यायालय धारा 18 में विनिर्दिष्ट किसी अपराध का संज्ञान, अध्यक्ष या किसी सदस्य या आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत आयोग के किसी अधिकारी के परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं।

सद्भावना से की
गई कार्यवाही का
संरक्षण

20.- किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे कार्य के लिए जो इस अधिनियम तदन्तर्गत बनाए गये नियमों के उपबंधों के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हों या किए जाने के लिए अभिप्रेत हो, न तो कोई वाद या अभियोजन प्रस्तुत किया जाएगा और न अन्य विधिक कार्यवाही की जाएगी।

कठिनाईयों को
दूर करने की
शक्ति

21 (1) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो, तो राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा, कठिनाई को दूर करने के लिए ऐसे उपबंध बना सकती है, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश नहीं दिया जायेगा।

(3) उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबन्ध, उपधारा (1) की अधीन बनाये गये प्रत्येक आदेश पर उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

अपवाद

22 इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश संख्या 22/16/92-का-2-93, दिनांक 9 मार्च 1993 द्वारा गठित आयोग इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन गठित आयोग समझा जायेगा और उक्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के तीन वर्ष के कार्यकाल की संगणना उनके द्वारा अपने पद ग्रहण करने के दिनांक से की जाएगी।

निरसन और
अपवाद

23. (1) उत्तर प्रदेश पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग अध्यादेश, 1995 (द्वितीय) एतद् द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्यवाही समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

शंकर दयाल शर्मा
राष्ट्रपति

के०एल० मोहनपुरिया
सचिव
भारत सरकार

अधिनियमन के कारण

1. मण्डल आयोग मामले (इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ) में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में राज्य सरकार ने तारीख 9 मार्च 1993 की अधिसूचना द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग का गठन किया। यह विनिश्चय किया गया कि उक्त आयोग के गठन को एक अधिनियमिति द्वारा विनियमित किया जाए। आगे यह भी निश्चित किया गया कि पिछड़े वर्गों की

सूची में पिछड़े वर्गों के रूप में किसी वर्ग के नागरिकों को सम्मिलित करने के लिए अनुरोधों और गलत रूप से सम्मिलित किए जाने या न किये जाने की शिकायतों की जांच करने के अलावा आयोग पिछड़ों वर्गों के हित और कल्याण की सुरक्षा करने की दृष्टि से यथा विनिर्दिष्ट कृत्यों का भी पालन कर सकेगा।

2. राज्य विधान मंडल सत्र में नहीं था और इस विषय में तुरन्त विधायी कार्रवाई किया जाना आवश्यक था, अतः उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अध्यादेश 1994 (1994 का उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्याक-26) को राज्यपाल द्वारा 17 नवम्बर 1994 को प्रख्यापित किया गया। पूर्वोक्त अध्यादेश के उपबन्धों को प्रतिस्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग विधेयक, 1995 उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 06 फरवरी, 1995 को पुनः स्थापित किया गया था, किन्तु उक्त विधेयक उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित नहीं जा सका और उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अध्यादेश 1995 (1995 का उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 12) राज्यपाल द्वारा 30 मार्च, 1995 को पूर्वोक्त अध्यादेश के उपबन्धों को प्रवर्तन में रखने के लिए प्रख्यापित किया गया।

3- पूर्वोक्त विधेयक 14 जुलाई 1995 से प्रारम्भ होने वाले राज्य विधान मण्डल के सत्र में पारित नहीं किया जा सका और यह विधान सभा में लम्बित रहा। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (दूसरा) अध्यादेश 1995 (1995 का उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्याक-34) राज्यपाल द्वारा 25 अगस्त, 1995 को 1995 के पूर्वोक्त उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 12 के उपबन्धों को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रख्यापित किया गया।

4- राष्ट्रपति ने 18 अक्टूबर 1995 को संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन एक उद्घोषणा जारी की जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह घोषणा की कि राज्य की विधायी शक्तियों का प्रयोग सदस्य द्वारा या उसके अधिकार के अधीन किया जाएगा। संसद में अब संविधान के अनुच्छेद 357 (1) (क) के अधीन, उत्तर प्रदेश राज्य की विधि बनाने की विधान मंडल की शक्तियां उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम 1995 (1996 का 2) के द्वारा राष्ट्रपति को प्रदत्त कर दी हैं।

5- उक्त अध्यादेश की अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सका है और अध्यादेश 07 जनवरी 1996 को समाप्त हो रहा है। अतः यह विनिश्चित किया गया है कि उक्त अध्यादेश को राष्ट्रपति के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए।

6- उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1995 (1996 का 2) की धारा-3 की उपधारा-2 के परन्तुक के अधीन राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के अधिनियम का अधिनियमन किए जाने के पूर्व इस प्रयोजन के लिए गठित समिति से, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य होंगे, परामर्श करेंगे। चूंकि उक्त समिति अभी तक गठित नहीं की गई है और यह विषय अतिआवश्यक है। अतः यह प्रस्ताव किया जाता है कि अभ्युदाय को उक्त समिति को निर्देश किए बिना अधिनियमित किया जाए।

के० वी० सक्सेना
सचिव, भारत सरकार।

आयोग अधिनियम की धारा-8 (2) के अनुसार प्रक्रिया और कार्यसंचालन विनियमावली-1999 बनायी गयी है। जिसके अनुसार कार्य किया जा रहा है। प्रक्रिया और कार्यसंचालन विनियमावली-1999 जो निम्नवत् है :-

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश



प्रक्रिया और कार्यसंचालन विनियमावली - 1999

तृतीय तल, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ - 226001

उ0प्र0 पिछड़े वर्गों के लिये राज्य आयोग अधिनियम-1996 की धारा-8 की उपधारा-2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके पिछड़े वर्गों के लिये राज्य आयोग निम्नलिखित विनियमावली बनाता है:-

उत्तर प्रदेश पिछड़े वर्गों के लिये राज्य आयोग (प्रक्रिया और कार्य संचालन विनियमावली-1999)

1. (क) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश पिछड़े वर्गों के लिये राज्य आयोग (प्रक्रिया और कार्य संचालन विनियमावली-1999) कही जायेगी।

(ख) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. (क) "अधिनियम" से तात्पर्य उत्तर प्रदेश पिछड़े वर्गों के लिये राज्य आयोग अधिनियम-1996 से है।

(ख) "आयोग" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश पिछड़े वर्गों के लिये राज्य आयोग अधिनियम-1996 की धारा-3 के अधीन गठित पिछड़े वर्गों के लिये राज्य आयोग से है।

(ग) "अध्यक्ष" का तात्पर्य आयोग के अध्यक्ष से है।

(घ) "सदस्य" से तात्पर्य आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति से है और इसके अन्तर्गत आयोग के अध्यक्ष भी है।

(ङ.) "समिति/पीठ" का तात्पर्य अध्यक्ष द्वारा सदस्यों से गठित समिति/पीठ से है।

(च) "सरकार" से तात्पर्य उ०प्र० सरकार से है।

(छ) "सचिव" से तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आयोग के सचिव से है।

3. सुनवाई तथा अन्य कार्य हेतु गठित समिति/पीठ का बैठक भी आयोग की बैठक मानी जायेगी।

4. विनिमय (3) में सन्दर्भित आयोग के बैठक के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनार्थ :-

(क) आयोग की बैठक सामान्यतया प्रत्येक माह में पहली व पन्द्रह तारीख को होगी यदि उक्त दिनांक में कार्यालय बन्द रहता है तो अगले कार्य दिवस

में बैठक होगी। ऐसी बैठक के अतिरिक्त आवश्यकता होने पर आयोग की ऐसी बैठक अध्यक्ष किसी भी दिन बुलाने के निर्देश दे सकते हैं।

(ख) आयोग की ऐसी बैठक बुलाने के लिये किसी सदस्य के अनुरोध पर भी अध्यक्ष विचार करते हुए बैठक के निर्देश दे सकते हैं।

(ग) आयोग की ऐसी बैठक की कार्य सूची सचिव के हस्ताक्षर से सभी सदस्यों के लिए उनके वैयक्तिक सहायकों को प्राप्त करायी जायेगी। सम्बन्धित वैयक्तिक सहायकों का कर्तव्य होगा कि वह सम्बन्धित सदस्य को ऐसी कोई कार्य सूची से अवगत करायें। वैयक्तिक सहायक को प्राप्त करायी गयी कार्यसूची सम्बन्धित सदस्य को प्राप्त होना माना जायेगा।

(घ) आयोग की बैठक की कार्यसूची वह होगी जो अध्यक्ष निर्धारित करेंगे। किसी सदस्य द्वारा कोई विषय आयोग की बैठक में रखने की यदि कोई अनुरोध बैठक की कार्यसूची सदस्यों को दिये जाने से पूर्व प्राप्त होता है तो ऐसे विषय को भी बैठक की कार्यसूची में अध्यक्ष की अनुमति से सम्मिलित किया जा सकेगा।

(ङ.) आयोग की ऐसी बैठक की गणपूर्ति आयोग के तीन सदस्यों से होगी। बैठक के लिये गणपूर्ति न होने पर ऐसी बैठक किसी अन्य तिथि के लिये स्थगित कर दी जायेगी, जिसकी सूचना सभी सदस्यों को दी जायेगी। स्थगित की गयी बैठक के लिये दो सदस्यों को गणपूर्ति पूरा होना माना जायेगा।

(च) आयोग की बैठक में निर्णय यदि सर्वसम्मति से नहीं होता तो बहुमत के अनुसार निर्णय जो होगा वह आयोग का निर्णय माना जायेगा। यदि मत बराबर हों तो अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा, जो उनके सामान्य मत के अतिरिक्त होगा।

5. आयोग की बैठक सामान्यतया आयोग के मुख्यालय, लखनऊ में होगी। परन्तु आयोग की बैठक मुख्यालय से बाहर किसी अन्य स्थान पर भी करने में कोई बाधा नहीं होगी।

6. समिति/पीठ

आयोग के सदस्यों के बीच कार्य का बंटवारा अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। कार्यों को निपटाने के लिये अध्यक्ष सदस्यों की एक सदस्यीय/बहुसदस्यीय समिति/ पीठ का एक या अधिक गठन कर सकते हैं। आवश्यकतानुसार अध्यक्ष द्वारा कार्य विभाजन में परिवर्तन या उपान्तर किया जा सकता है। ऐसी समिति जिसमें अध्यक्ष सम्मिलित न हों, की संस्तुति अध्यक्ष के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जायेगी और अध्यक्ष द्वारा अनुमोदन किये जाने पर समिति/पीठ की ऐसी संस्तुति आयोग द्वारा की गयी संस्तुति मानी जायेगी। यदि समिति/पीठ की संस्तुति को आयोग की बैठक में विचारार्थ रखा जायेगा, परन्तु अन्य किसी नियम में अन्यथा प्राविधान होते हुए भी प्रतिबन्ध यह होगा कि ऐसी संस्तुति पर विचार किसी बैठक में किया जा सकेगा, जिसमें सम्बन्धित समिति/पीठ के सदस्यों व अध्यक्ष के अतिरिक्त अन्य कोई सदस्य उपस्थित हो। उस बैठक में लिये गये निर्णय को आयोग की संस्तुति माना जायेगा।

7. बैठक की सूचना देने के सम्बन्ध में

प्रत्येक पहली व पन्द्रह तारीख बैठक के अतिरिक्त आयोग की अन्य बैठक की तिथि की सूचना सम्बन्धित सदस्यों को सचिव द्वारा दी जायेगी।

यह सूचना सचिव के न रहने पर उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा भी दी जा सकती है। अपरिहार्य परिस्थितियों में अध्यक्ष अपने कैम्प के माध्यम से भी नोटिस जारी कर सकते हैं।

8. अधिनियम की धारा-9(1)(क) के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदनों के निस्तारण की प्रक्रिया

- (क) इससे सम्बन्धित प्रत्यावेदन का प्रारम्भिक परीक्षण तथा आयोग के विचार हेतु आख्या प्रस्तुत करने का कार्य उस सदस्य द्वारा किया जायेगा जिसे प्रत्यावेदन अध्यक्ष द्वारा भेजा जायेगा।
- (ख) एक माह में विभिन्न जातियों के प्राप्त प्रत्यावेदनों के सम्बन्ध में प्रारम्भिक प्राथमिकता का निर्धारण अगले माह के प्रथम सप्ताह में होने वाली आयोग की बैठक में किया जायेगा।
- (ग) प्राथमिकता निर्धारण के उपरान्त सार्वजनिक सूचना के माध्यम से क्रमिक रूप से तिथिवार प्राप्त प्रत्यावेदनों की प्रारम्भिक सुनवाई हेतु आयोग की ओर से सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की जायेगी। ऐसी सार्वजनिक सूचना दैनिक समाचार-पत्र जिसका सम्बन्धित क्षेत्र में प्रसार हो, प्रकाशित की जायेगी। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित प्रत्यावेदनकर्ता को सुनवाई की सूचना पत्र द्वारा भेजी जायेगी।
- (घ) प्रारम्भिक सुनवाई आयोग द्वारा की जायेगी। सुनवाई के पश्चात् आयोग यदि प्रत्यावेदन पर आगे कार्यवाही करना उपयुक्त नहीं पाये तो प्रकरण को समाप्त कर दिया जायेगा। यदि आयोग आगे कार्यवाही करने का निर्णय ले तो निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जायेगी:—
- (अ) आयोग के सर्वेक्षण प्रभाग द्वारा स्थानीय जांच एवं सर्वेक्षण सम्बन्धित जाति/वर्ग के सम्बन्ध में किया जायेगा। ऐसे सर्वेक्षण एवं स्थानीय जांच के लिये आयोग के सर्वेक्षण प्रभाग के अतिरिक्त अध्यक्ष द्वारा इस कार्य हेतु नामित द्विसदस्यीय समिति भी सम्बन्धित क्षेत्र में भ्रमण करके जानकारी कर सकेगी। ऐसे भ्रमण में समिति विभिन्न समुदायों के लोगों से भी जानकारी प्राप्त कर सकेगी। समिति द्वारा की गयी जांच रिपोर्ट में इसका पूर्ण विवरण दिया जायेगा जिसमें उन नागरिकों/संस्थाओं व क्षेत्र का नाम होगा, जिनसे बातचीत व जानकारी की गयी।

सर्वेक्षण प्रभाग द्वारा किये जाने वाले सर्वेक्षण की ऐसी प्रश्नावली में आवश्यक रूप से सम्बन्धित अन्य निर्धारित प्रश्नों के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रश्न होंगे:—

- (1) सम्बन्धित समुदाय में ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं संस्कृतिक पृष्ठभूमि और सामान्य जानकारी के सम्बन्ध में।
- (2) परिवार जानकारी के सम्बन्ध में।
- (3) विभिन्न अन्य समुदायों के मत जानने सम्बन्धी।
- (ड.) सर्वेक्षण प्रभाग की रिपोर्ट व समिति की रिपोर्ट (यदि समिति ने भी जांच किया हो) प्राप्त हो जाने के पश्चात् प्रकरण पर अन्तिम सुनवाई हेतु तिथि निश्चित की जायेगी। जिसकी सार्वजनिक सूचना दो दैनिक समाचार-पत्रों में जिनका सम्बन्धित क्षेत्र में प्रसार हो, प्रकाशित की जायेगी तथा प्रार्थी व आपत्तिकर्ता (यदि कोई हो) को कार्यालय द्वारा सूचना नोटिस भेजकर दी जायेगी।
- (च) अन्तिम सुनवाई आयोग द्वारा की जायेगी जिसमें कम से कम तीन सदस्यों (जिनमें अध्यक्ष भी सम्मिलित होंगे) की उपस्थिति आवश्यक होगी। ऐसी सुनवाई के समय प्रत्यावेदनकर्ता या आपत्तिकर्ता (यदि कोई हो) द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को लिया जायेगा और पक्षकारों को तर्क प्रस्तुत करने का अवसर दिया जायेगा।
- (छ) सुनवाई करने वाली समिति द्वारा प्रत्यावेदन पर संस्तुति स्थल जांच रिपोर्ट आदि तथा अन्य उपलब्ध कराये गये जानकारी एवं आंकड़े साक्ष्य को विचार में लेते हुए की जायेगी। यदि कोई सदस्य अपनी भिन्न संस्तुति करे तो आयोग की बैठक में उस पर विचार किया जायेगा और विचार-विमर्श के पश्चात् आयोग की संस्तुति को अन्तिम रूप दिया जायेगा।
- (ज) आयोग की संस्तुति प्रदेश शासन को प्रेषित किया जायेगा।

9. अधिनियम की धारा-9(1)(ख) से सम्बन्धित मामलों के रूप के लिये प्रक्रिया निम्नलिखित प्रकार की होगी।

- (क) पिछड़े वर्गों के लिये उपबन्धित रक्षापायों से सम्बन्धित सभी मामलों का अन्वेषण एवं मूल्यांकन आयोग द्वारा सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन प्रभाग के अन्वेषण अधिकारियों से विभाग/संस्थावार कराया जायेगा और सम्बन्धित विभाग यह कार्य अध्यक्ष द्वारा नामित सदस्य/समिति के मार्ग-निर्देशन/निर्देश के अधीन किया जायेगा।
- (ख) अन्य पिछड़े वर्गों के लिये हित रक्षण उपायों की मास्टर चेक लिस्ट विभाग/संस्थावार तैयार करना आवश्यक होगा। इसके साथ ही इसके सम्बन्ध में विभिन्न पहलुओं के आंकड़े भी एकत्रित करने होंगे। इस कार्य हेतु सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन प्रभाग के सर्वेक्षण एवं अन्वेषण अधिकारी को आवश्यकतानुसार अध्यक्ष द्वारा अधिकृत सदस्य/समिति मार्ग-दर्शन प्रदान करेगी।
- (ग) आयोग के सर्वेक्षण एवं शोध अधिकारियों द्वारा संस्थावार अन्वेषण और मूल्यांकन की रिपोर्ट तैयार की जायेगी। उन्हीं के द्वारा निश्चित समयावधि में अनुश्रवण करने की प्रणाली भी विकसित की जायेगी। इस कार्य हेतु सम्बन्धित कर्मचारी एवं अध्यक्ष द्वारा नामित/अधिकृत सदस्य विभिन्न स्तरों में भाग लेने के सम्बन्ध में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सम्बन्धित संस्था/विभाग की इकाईयों का भ्रमण अधावधिक अनुश्रवण रिपोर्ट के विश्लेषण एवं संस्तुति हेतु प्रस्तुत करेंगे।
- (घ) अध्यक्ष द्वारा अधिकृत सदस्य/समिति इन अनुश्रवण रिपोर्ट को प्रदेश शासन को प्रेषित करेगा।
- (ङ) ऐसी रिपोर्ट पर आयोग विचारोपरान्त संस्तुति प्रदेश शासन को प्रेषित करेगा।

- (च) आयोग विभिन्न विभागों/संस्थाओं से पिछड़े वर्गों के रक्षोपायों के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग/संस्थाओं द्वारा की गयी कार्यवाही के विवरण भी मांग सकेगा।

10. अधिनियम की धारा-9(1)(ग) पिछड़े वर्गों के अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित किये जाने के सम्बन्ध में विशिष्ट शिकायतों के सम्बन्ध में प्रक्रिया :-

- (क) शिकायत प्राप्त होने पर अध्यक्ष द्वारा उसे किसी सदस्य को चिन्हित किया जा सकता है। ऐसे सदस्य द्वारा शिकायत का परीक्षण करने पर यह पाया जाय कि शिकायत के सम्बन्ध में जांच/सुनवाई करना उपयुक्त होगा तो उसके लिये एतदपश्चात् उपबन्धित वह खण्ड (ख) व (ग) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। यदि शिकायत का प्रारम्भिक परीक्षण करने पर यह पाया जाये कि वह उस पर कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है तो ऐसे मामले को आयोग की बैठक में रखकर विचार किया जायेगा। विचारोपरान्त यदि शिकायत पर आयोग द्वारा कार्यवाही किया जाना उपयुक्त न पाया जाय तो ऐसी शिकायत को पत्रावलित कर दिया जायेगा। बैठक में यदि उस शिकायत के सम्बन्ध में जांच/सुनवाई का निर्णय किया जाय तो एतदपश्चात् उपबन्धित खण्ड (ख), (ग) व (घ) के अनुसार जांच/सुनवाई की जायेगी।
- (ख) जिस शिकायत के सम्बन्ध में जांच/सुनवाई किये जाने का विनिश्चय हो, उसके सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारी/प्राधिकारी को शिकायती-पत्र की प्रति भेजते हुए उस पर आख्या चार प्रतियों में निर्धारित अवधि तक उपलब्ध कराने की अपेक्षा की जायेगी। इस सम्बन्ध में नोटिस ऐसे प्रपत्र पर भेजी जायेगी जैसा कि आयोग निर्धारित करे। आख्या प्राप्त हो जाने पर अथवा अवसर दिये जाने के बावजूद आख्या न दिये जाने पर सुनवाई की तिथि निर्धारित की जायेगी जिसकी लिखित सूचना सम्बन्धित व्यक्तियों

को ऐसे प्रपत्र पर, जैसा कि आयोग निर्धारित करे, भेजी जायेगी। सुनवाई की प्रथम तिथि अध्यक्ष द्वारा निश्चित की जायेगी।

जिस मामले में त्वरित कार्यवाही की आवश्यकता हो उसमें आख्या व सुनवाई हेतु तिथि एक साथ निश्चित कराते हुए नोटिस भेजी जायेगी।

(ग) जांच/सुनवाई आयोग की समिति/पीठ करेगी। आवश्यकतानुसार इस जांच से सम्बन्धित त्वरित रूप से किसी संस्था/विभाग से जानकारी/आंकड़े आदि प्राप्त करने हेतु आयोग की ओर उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी भेजे जा सकते हैं जो इन जानकारीयों/आंकड़ों की आयोग की जांच की आवश्यकता के अनुसार यथाशीघ्र एकत्रित करेंगे और मुख्यालय पर सम्बन्धित समिति/पीठ के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

(घ) सम्बन्धित समिति/पीठ द्वारा इस प्रकार की विशिष्ट जांच की सुनवाई में सभी तर्कसंगत रूप से आवश्यक प्रक्रियाएं अपनायी जायेंगी। इसमें शिकायतकर्ता एवं विरोधी पक्ष को बुलाकर आमने-सामने उनके पक्ष को सुनना तथा एक दूसरे के उठाये गये बिन्दुओं पर बहस करने का अवसर प्रदान करना तथा अन्य नैसर्गिक न्याय के सभी नियमों को अपनाया जाना सम्मिलित है।

(ङ.) सम्बन्धित शिकायत पर आयोग की संस्तुति सरकार के सम्बन्धित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव के पास अपेक्षित कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जायेगा।

(च) स्वायत्तशासी संस्थाओं से सम्बन्धित शिकायतों पर आयोग की संस्तुति की प्रति स्वायत्तशासी संस्था के प्रमुख (विभागाध्यक्ष) को प्रेषित की जायेगी।

11. अधिनियम की धारा-9(1)(घ) के सम्बन्ध में प्रक्रिया

- (क) आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेने और उन पर सम्बन्धित बैठक में सलाह देने के लिये अध्यक्ष ऐसे एक या एक से अधिक सदस्यों को जैसा वह उचित समझे इस निमित्त अधिकृत कर सकते हैं। ऐसे अधिकृत सदस्य/सदस्यगण बैठक की कार्यवाही एवं उसमें अपने द्वारा दी गयी सलाह की लिखित रिपोर्ट अध्यक्ष को प्रस्तुत करेंगे।
- (ख) आयोग की ओर से ऐसी योजना प्रक्रिया सम्बन्धित विषय पर यदि सलाह भेजे जाने की आवश्यकता हो तो उसे आयोग में बैठक में विचार विमर्श के पश्चात् भेजा जायेगा।
- (ग) पिछड़े वर्गों के सामाजिक, आर्थिक विकास की प्रगति का मूल्यांकन हेतु आयोग सम्बन्धित विभाग/प्राधिकारी/संस्था से इस सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करेगा और तथ्यात्मक सूचना प्राप्त होने के पश्चात् उसके मूल्यांकन हेतु विषय को आयोग बैठक में रखा जायेगा।

12. अधिनियम की धारा-9(1)(ड) से सम्बन्धित प्रक्रिया:-

आयोग के प्रत्येक वर्ष के सम्पूर्ण कार्यों का विवरण सहित रिपोर्ट अध्यक्ष के दिशा-निर्देशों पर सचिव द्वारा तैयार करायी जायेगी एवं रिपोर्ट पर आयोग की सहमति के उपरान्त शासन को प्रत्येक वर्ष में प्रेषित की जायेगी।

- 13. अधिनियम की धारा-9(1)(च) जो पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण, सामाजिक, आर्थिक विकास के सम्बन्ध में राज्य सरकार के सिफारिश किया जाना, यह कार्य धारा-9(1)(ख) से आच्छादित है। अतः उसी प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।
- 14. अधिनियम की धारा-9(1)(छ) से पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण, विकास और अभिव्यक्ति के सम्बन्ध में:-

(क) इसका दायित्व निर्वहन समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किये जाने पर आयोग द्वारा किया जायेगा।

(ख) इस उत्तरदायित्व का निर्वहन (जांच, विश्लेषण, रिपोर्ट की संरचना आदि) आयोग की अधिकृत समिति के मार्ग-दर्शन के अधीन किया जायेगा। यदि इसमें संस्था विशेष के आंकड़े, तथ्यों को एकत्रित करना भी सम्मिलित है, तो ऐसे दायित्व अध्यक्ष के मार्ग-दर्शन में निर्वहन किया जायेगा।

(ग) समिति की रिपोर्ट आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। तदोपरान्त आयोग अपनी संस्तुति शासन को प्रेषित करेगा।

15. इस नियमावली में प्रदिष्ट प्रक्रिया के अतिरिक्त आवश्यकता होने पर आयोग अपनी बैठक में निर्णय लेते हुए विशिष्ट विषयों अथवा विषयवस्तु के सम्बन्ध में प्रक्रिया निर्धारित कर सकेगा।

ह0 अपठनीय	ह0 अपठनीय	ह0 अपठनीय	ह0 अपठनीय	ह0 अपठनीय
(अध्यक्ष)	(सदस्य)	(सदस्य)	(सदस्य)	(सदस्य)

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यालय इन्दिरा भवन के तृतीय तल पर स्थित है। इसकी कोई शाखा नहीं है। आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके पद के अनुरूप कार्य निष्पादन हेतु दिशा निर्देश के रूप में कार्यालय कार्य प्रक्रिया विनियमावली निर्धारित की गयी है। जो निम्नवत् है:—

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

उत्तर प्रदेश



कार्यालय कार्य प्रक्रिया विनियमावली

तृतीय तल, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ

कार्यालय कार्य प्रक्रिया नियमावली

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उ०प्र० राष्ट्रपति अधिनियम संख्या-1, 1996 की धारा-8(2) के अनुसार आयोग कार्यालय के सामान्य कार्यों के प्रभावी सम्पादन हेतु एतद्वारा निम्न प्रकार से स्थायी कार्य संचालन प्रक्रिया का निर्धारण किया जाता है।

1. प्रशासनिक प्रकोष्ठ

प्रशासनिक प्रकोष्ठ से सम्बन्धित समस्त कार्मिकों के अधिष्ठान, लेखा तथा स्टोर से सम्बन्धित कार्यों का सम्पादन किया जायेगा। इस प्रकोष्ठ द्वारा निम्न प्रकार से कार्य किया जायेगा।

i) अधिष्ठान प्रकोष्ठ :

आयोग के कार्यालय से सम्बन्धित समस्त कार्मिकों के अधिष्ठान से सम्बन्धित कार्य सम्पादित किये जायेंगे। अधिष्ठान के अन्तर्गत कार्मिकों का अधिष्ठान नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थायीकरण, पदों की निरन्तरता, अनुशासनात्मक कार्यवाही, अवकाश आदि सम्बन्धित विधानसभा प्रश्नों/आश्वासन/वाद/प्रोटोकाल से सम्बन्धित समितियों, राष्ट्रीय तथा अन्य राज्य पिछड़ा वर्ग आयोगों से समन्वय आदि का कार्य सम्पादित किया जायेगा।

ii) लेखा प्रकोष्ठ :

वित्त एवं लेखा से सम्बन्धित समस्त कार्यों का सम्पादन लेखा प्रकोष्ठ द्वारा सम्पादित किया जायेगा। जिसमें बजट प्रस्ताव, व्यय, वेतन विवरण तथा अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना, व्यय प्रस्ताव का परीक्षण करना, भुगतान आदेश प्राप्त करना तथा भुगतान करना, विधान सभा प्रश्न/आश्वासन/वाद आदि से सम्बन्धित समस्त कार्यों को सम्पादन वित्त एवं लेखाधिकारी के निर्देशन में किया जायेगा।

iii) भण्डार तथा अनुरक्षण प्रकोष्ठ :

आयोग के कार्यालय के उपयोग में आने वाली समस्त सामग्रियों के क्रय हेतु प्रस्ताव तैयार करना, स्टोर से सम्बन्धित सश्वर तथा नश्वर सामग्रियों का नियमानुसार परचेज रूल के अन्तर्गत क्रय एवं रख-रखाव, भण्डार पंजिका में अंकन, सत्यापन तथा अनुरक्षण का समस्त कार्य सम्पादित किया जायेगा। इसके अन्तर्गत ही आयोग की गाड़ियों का क्रय, अनुरक्षण, पेट्रोल की खरीद, दूरभाष, फैक्स, फोटोकॉपियर, टाइपराईटर,

साइक्लोस्टाइल, इन्टरकाम आदि का अनुरक्षण का कार्य किया जायेगा। सामग्रियों का क्रय, वितरण तथा अनुरक्षण आदि प्रस्ताव पर वित्त एवं लेखा अधिकारी का मन्तव्य भी प्राप्त किया जायेगा।

प्रशासनिक प्रकोष्ठ हेतु सामान्य निर्देश

1. प्रशासनिक प्रकोष्ठ की पत्रावलियां सचिव के समक्ष या सचिव द्वारा नामित अधिकारी के माध्यम से सचिव के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी जो अन्तिम निर्णय हेतु मा0 अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
2. अध्यक्ष स्वयं अथवा किसी सदस्य के माध्यम से पत्रावली पर अन्तिम निर्णय लेने हेतु समक्ष अधिकारी होंगे।

2. अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में जाति सम्मिलन एवम् निष्कासन प्रकोष्ठ

आयोग की प्रक्रिया नियमावली-1999 के नियम-8(क) से (घ) के अनुसार इस कार्य के लिये लगाये गये कर्मचारी द्वारा निम्नवत किया जायेगा :-

- (1) एक माह के समय में प्राप्त सभी प्रत्यावेदनों को आयोग की बैठक में रखा जायेगा।
- (2) सम्बन्धित सहायक प्रत्यावेदनों को शोध अधिकारी (जिनको आवंटित है) के माध्यम से सचिव के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। सचिव अपनी टिप्पणी के उपरान्त अध्यक्ष/मा0 सदस्य (जिनको यह कार्य आवंटित है) के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
- (3) मा0 अध्यक्ष/सदस्य के निर्णय के उपरान्त प्रत्यावेदनों को आयोग की माह के प्रथम सप्ताह में होने वाली बैठक में विचारार्थ रखा जायेगा। आयोग के निर्णय के उपरान्त विनियमावली-8(ग) के अनुसार सम्बन्धित पत्रावली में सार्वजनिक सूचना का प्रस्ताव उपरोक्त नियम-8(ग) के अनुसार किया जायेगा।
- (4) प्रक्रिया विनियमावली-8(घ) में निर्दिष्ट व्यवस्था पर आयोग द्वारा जिन जातियों की प्रारम्भिक सुनवाई का निर्णय लिया जायेगा उन पर प्रत्यावेदनकर्ताओं को सार्वजनिक सूचना के अतिरिक्त व्यक्तिगत सूचना सचिव के हस्ताक्षर को दे दी जायेगी।

- (5) यदि आयोग किसी प्रत्यावेदन पर आगे की कार्यवाही हेतु उपयुक्त नहीं पाता है तो उस प्रत्यावेदन को आयोग के निर्णय की प्रति संलग्न करके आयोग में रिकार्ड के रूप में रखा जायेगा एवं सूचना प्रत्यावेदक को दे दी जायेगी।
- (6) यदि आयोग द्वारा प्रत्यावेदन पर कार्यवाही का निर्णय लिया जाता है तो प्रक्रिया विनियमावली-8(घ)(अ) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। प्रश्नावली प्रारूप आयोग के शोध अनुभाग द्वारा तैयार करके आयोग के अनुमोदन के उपरान्त कार्य में लाया जायेगा।
- (7) शोध प्रभाग आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जाति/समूह/वर्ग के सम्बन्ध में अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट सम्बन्धित समिति/मा0 सदस्य (जो इस हेतु नामित हो) के समक्ष प्रस्तुत करेगा। शोध कार्य के लिये आवश्यक दिशा निर्देश भी सम्बन्धित समिति/मा0 सदस्य से प्राप्त किये जायेंगे।
- (8) सर्वेक्षण रिपोर्ट आयोग में प्रस्तुत होने पर प्रक्रिया नियमावली-8(ग) के अनुसार सार्वजनिक सूचना का कार्य सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।
- (9) प्रत्यावेदन की सुनवाई के समय पेशकार के अतिरिक्त सम्बन्धित जाति का शोध करने वाले शोध अधिकारी भी सुनवाई के समय उपस्थित रहेंगे।
- (10) जाति/समूह/वर्ग के प्रत्यावेदन पर अन्तिम सुनवाई के उपरान्त आयोग की संस्तुति तैयार होगी। संस्तुति सम्बन्धित प्रकोष्ठ द्वारा शासन को प्रेषित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- (11) जातियों के सम्बन्ध में शासन द्वारा सूचना मांगे जाने पर पत्रावली सम्बन्धित जाति का शोध कर रहे शोध अधिकारी के माध्यम से यथा स्थिति का विवरण देते हुए कर्मचारी द्वारा सचिव महोदय के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी जिस पर मा0 अध्यक्ष के अनुमोदन के उपरान्त शासन को उत्तर दिया जा सकेगा।

- (12) यदि शोध अधिकारी उपलब्ध नहीं है तथा सूचना तत्काल दिया जाना आवश्यक है तो सम्बन्धित प्रकोष्ठ के जिम्मेदार कर्मचारी द्वारा सीधे आयोग के प्रशासनिक कार्यों को देख रहे अधिकारी के माध्यम से सचिव के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

3. शिकायत प्रकोष्ठ

पिछड़े वर्गों के लिये राज्य आयोग अधिनियम-9 (1) ख, ग के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायती पत्रों के निस्तारण के लिये आयोग की विनियमावली-1999 के नियम 9 के अनुसार कार्यवाही किये जाने के लिये शिकायत प्रकोष्ठ के दो भाग होंगे:-

1. आरक्षण से सम्बन्धित प्राप्त शिकायती पत्रों के निस्तारण प्रकोष्ठ (आरक्षण प्रकोष्ठ)।
2. तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के या राज्य सरकार के किसी आदेश के अधीन अन्य पिछड़े वर्गों के लिये उपबन्धित मामले पर अन्वेषण हेतु प्रकोष्ठ (रक्षोपायों से सम्बन्धित प्रकोष्ठ)।

1. आरक्षण प्रकोष्ठ

इस कार्य हेतु नामित समिति/सदस्य द्वारा प्राप्त शिकायती पत्र पर उल्लिखित निर्देश के बाद शिकायती पत्र अन्वेषण अधिकारी जो (नामित हो) को सचिव के माध्यम से प्रेषित की जायेगी। अन्वेषण अधिकारी द्वारा समिति/सदस्य के निर्देशानुसार प्रथम दृष्टया जो आदेश दिये गये हैं निम्न कार्यवाही की जायेगी।

- (क) सम्बन्धित संस्था, विभाग के सम्बन्धित अधिकारी से आख्या प्राप्त की जायेगी। इस कार्य के लिये सम्बद्ध कर्मचारियों द्वारा कार्यवाही की जायेगी।
- (ख) आख्या प्राप्त होने के उपरान्त कार्यालय एवं अन्वेषण अधिकारी द्वारा शिकायत के सापेक्ष शासनादेशों को उल्लेख करते हुए विवरणात्मक टिप्पणी सचिव महोदय के माध्यम से इस कार्य हेतु नामित सदस्य के समक्ष अगले आदेश हेतु रखी जायेगी। समिति एवं सदस्य द्वारा दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- (ग) यदि शिकायती पत्र को मूलरूप के भेजे जाने के आदेश दिये गये हैं तदनुसार मूलरूप में भेजकर कार्यालय पत्र की प्रति रिकार्ड में रखी जायेगी।

- (घ) आरक्षण से सम्बन्धित शिकायती पत्र की महत्ता के दृष्टिगत रखते हुए वरीयता क्रम में पहले तिथि निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव रखा जायेगा।

2. रक्षोपायों से सम्बन्धित प्रकोष्ठ :-

रक्षोपायों से सम्बन्धित शिकायती पत्रों पर मा0 सदस्य/समिति द्वारा जो निर्देश दिये जायेंगे उन्हें सम्बन्धित अन्वेषण अधिकारी द्वारा वही प्रक्रिया अपनायी जायेगी जो आरक्षण से सम्बन्धित होगी।

आरक्षण एवं रक्षोपायों से सम्बन्धित प्रकोष्ठों हेतु सामान्य नियम :-

प्रत्येक प्रकोष्ठ में शिकायती पत्रों के रिकार्ड के लिये एक रजिस्टर रहेगा जिसमें प्रस्तुत शिकायती पत्रों का एक निर्धारित प्रारूप पर विवरण रखा जायेगा।

3. आयोग की धारा-9(1)(घ), (च) के दायित्व निर्वहन में प्रक्रिया :-

पिछड़े वर्गों के सामाजिक, आर्थिक विकास योजना प्रक्रिया में भाग लेने और उन पर सलाह और उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना। इस दायित्व के निर्वहन हेतु निम्न प्रकोष्ठ कार्य करेंगे:-

- (1) मूल्यांकन प्रकोष्ठ
- (2) नियोजन प्रकोष्ठ

4. मूल्यांकन प्रकोष्ठ

उत्तर प्रदेश शासन के समस्त विभागों से पिछड़े वर्गों के लिये लागू आरक्षण अधिनियम के क्रम में नौकरियों में आरक्षण, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण एवं पिछड़े वर्गों के लिये लागू रक्षोपायों से सम्बन्धित नियमों के तहत शासन से सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग के माध्यम से समस्त निदेशालयों स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं अन्य जहां भी आरक्षण लागू हो, से विवरण प्राप्त किया जायेगा। विवरण प्राप्त होने पर इनकी रिपोर्ट तैयार कर इस कार्य हेतु नामित सदस्य/समिति के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

प्रक्रिया:-

आयोग के इस कार्य हेतु नामित सदस्य/समिति अथवा आयोग की बैठक में निर्णय के उपरान्त सचिव महोदय के आदेशानुसार अधीनस्थ स्टाफ निम्नवत् कार्य करेगा।

1. जिस विभाग से विवरण प्राप्त किया जाना है उसका प्रस्ताव आयोग के समक्ष रखा जायेगा अनुमोदन के उपरान्त सम्बन्धित विभाग को सचिव के माध्यम से पत्र भेजा जायेगा।
2. सहायक द्वारा पत्रावली पर पूर्ण विवरण प्रस्ताव अन्वेषण अधिकारी के समक्ष रखा जायेगा। मूल्यांकन का समस्त कार्य अन्वेषण अधिकारी की देख-रेख में किया जायेगा।

5. नियोजन प्रकोष्ठ:-

पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक, आर्थिक विकास के लिये रक्षोपायों और उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये प्रतिवेदन में उन उपायों के सम्बन्ध में जो राज्य सरकार द्वारा किये जाये, सिफारिश करना।

इस कार्य हेतु नामित सदस्य के मार्ग निर्देशन में सचिव द्वारा प्रदत्त निर्देशों को कार्यालय द्वारा निम्न प्रकार से किया जायेगा:-

इस कार्य के लिये आयोग के अन्वेषण अधिकारी का पूर्ण दायित्व होगा। यदि कोई प्रत्यावेदन आयोग के सदस्य/समिति द्वारा पार्श्वीकृत आदेशों के तहत प्रेषित किया जाता है तो अन्वेषण अधिकारी द्वारा उनकी देख-रेख में अधीनस्थ स्टाफ द्वारा किया जायेगा एवं सहायक समस्त अभिलेखों का रख-रखाव करेगा।

अधिनियम-9(1)(ड) से सम्बन्धित प्रक्रिया:-

राज्य सरकार को उन रक्षोपायों की कार्यप्रणाली पर वार्षिक एवं ऐसे अन्य समयों पर जैसा आयोग उचित समझे प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

इस कार्य हेतु आयोग विनियमावली-1999 के नियम 12 द्वारा अध्यक्ष के निर्देश पर तैयार कराने की व्यवस्था है। इस कार्य हेतु सचिव द्वारा जिस किसी

अधिकारी को जिम्मेदारी दी जायेगी वह आयोग कार्यालय के सभी प्रकोष्ठों से सूचना/विवरण प्राप्त कर (जो रिपोर्ट के लिये आवश्यक हों) रिपोर्ट का आलेख्य सचिव की देख-रेख में तैयार करेगा।

6

प्रकोष्ठों के लिये सामान्य नियम:-

1. कार्यालय के सभी प्रकोष्ठों में विचाराधीन पत्र प्राप्त होने के उपरान्त तीन दिन के अन्दर पत्र के सम्बन्ध में विवरण सहित पत्रावली सम्बन्धित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2. पत्रावलियों पर टिप्पणी स्पष्ट एवं नियमों का उल्लेख करते हुए करना आवश्यक होगा।
3. यदि किसी पत्रावली में कोई आदेश/निर्देश दिये गये हैं उनका पालन सम्बन्धित प्रकोष्ठ के कार्मिक को चार दिन के अन्दर करना अनिवार्य होगा।
4. शिकायती पत्रों पर मा0 आयोग के निर्णय से सभी पक्षों को सूचित करना सम्बन्धित प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी होगी।

कार्यालय प्रक्रिया नियमावली में संशोधन :-

कार्यालय कार्य प्रक्रिया विनियमावली में संशोधन आवश्यकतानुसार आयोग द्वारा बैठक में संशोधन प्रस्ताव पारित करने के उपरान्त किया जा सकेगा।

7 आयोग के निर्धारित कार्यों के लिये जो दायित्व निर्धारित किये गये हैं, उसमें प्रतिवेदनों, अभिलेखों तथा मौखिक चर्चा कर जनता से सीधे अभिकथन प्राप्त कर राज्य सरकार को पिछड़े वर्गों के हितों के लिये सलाह दी जाती है।

8 आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यगण राज्य सरकार द्वारा नामित होते हैं। जनता द्वारा प्राप्त प्रतिवेदनों को आयोग की बैठकों में विचार उपरान्त निर्णय/संस्तुतियों को सचिव द्वारा अभिप्रमाणित करके शासन को प्रेषित किये जाते हैं।

9 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्य किये जाने हेतु नियम निर्धारित किये गये हैं, जो की बिन्दु संख्या-5 में अंकित है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर कार्यालय आदेशों के माध्यम से निर्देश दिये जाते हैं।

10 आयोग के पदाधिकारियों, अधिकारियों और कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले वेतनमान एवं पारिश्रमिक का विवरण निम्नवत् है:-

उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का संगठनात्मक ढाँचा

अध्यक्ष-01

|

उपाध्यक्ष-02

|

सदस्य-25

|

सचिव-01

|

|

अन्वेषण अधिकारी-02

शोध अधिकारी-02

|

अपर शोध अधिकारी (सांख्यिकी)-02

वित्त एवं लेखाधिकारी-01

|

सहायक लेखाकार-01

कार्यालय स्थापना

|

01-प्रशासनिक अधिकारी-02

02-वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1,-01

03-सहायक शोध अधिकारी
(सॉ0)-02

04-प्रधान सहायक-03

05-वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2,-02

06-वरिष्ठ सहायक-03

07-आशुलिपिक-04

08-कनिष्ठ सहायक-04

09-ड्राइवर विशेष ग्रेड-01

10-ड्राइवर ग्रेड-1,-01

11-ड्राइवर ग्रेड-2,-01

12-ड्राइवर ग्रेड-3,-01

13-ड्राइवर ग्रेड-4,-02

14-चपरासी-12

उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के लिये स्वीकृत पद, भरे पद एवं रिक्त पदों का विवरण :-

क्र० सं०	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
1	2	3	4	5
01	अध्यक्ष (राज्य मंत्री स्तर)	01	01	शून्य
02	उपाध्यक्ष (उप मंत्री स्तर)	02	02	शून्य

03	सदस्य	25	24	01
04	सचिव	01	01	शून्य
05	वित्त एवं लेखाधिकारी	01	01	शून्य
06	अन्वेषण अधिकारी	02	02	शून्य
28	शोध अधिकारी	02	01	01
32	अपर शोध अधिकारी (सांख्यिकी)	02	02	शून्य
35	प्रशासनिक अधिकारी	02	02	शून्य
36	वैयक्तिक सहायक ग्रेड- I	01	01	शून्य
	सहायक शोध अधिकारी सांख्यिकी	02	01	01
	प्रधान सहायक	03	03	शून्य
37	वैयक्तिक सहायक ग्रेड- II	02	02	शून्य
38	वरिष्ठ सहायक	03	03	शून्य
39	सहायक लेखाकार	01	01	शून्य
40	आशुलिपिक	04	02	02
41	कनिष्ठ सहायक	04	03	01
42	ड्राइवर-विशेष ग्रेड	01	01	शून्य
43	ड्राइवर ग्रेड-1	01	01	शून्य
44	ड्राइवर ग्रेड-2	01	01	शून्य
45	ड्राइवर ग्रेड-3	01	01	शून्य
46	ड्राइवर ग्रेड-4	02	शून्य	02
	चपरासी	12	12	शून्य
	योग	76	68	08

11 एवं 12

बजट विवरण:-

आयोग द्वारा योजनाओं का संचालन नहीं किया जाता है। आयोग अधिनियम-1996 की धारा-12 के अन्तर्गत स्वीकृत बजट से आयोग अधिनियम में दिये गये दायित्वों के निर्वहन हेतु व्यय किया जाता है।

13 एवं 14

आयोग द्वारा अधिनियम में दिये गये दायित्वों के अन्तर्गत शासन को समय-समय पर संस्तुतियाँ दी जाती है। जिसके अन्तर्गत जातियों के सम्मिलन से सम्बन्धित प्रतिवेदन व शिकायती पत्रों पर शासन को समय-समय पर संस्तुतियाँ दी जाती है। आयोग द्वारा अपने कार्यों के क्रम में मूल्यांकन, सर्वेक्षण आदि मा0 आयोग के निर्णयानुसार किया जाता है।

15

आयोग अधिनियम के अन्तर्गत प्राविधानित प्रक्रिया में सूचना उपलब्ध करायी जाती है। प्रक्रिया में सुनवाई की जाती है। साथ ही बैठने तथा वाचनालय आदि की व्यवस्था कक्षों के अभाव में नहीं हो पा रही है।

16

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत आयोग से सूचना प्राप्त करने हेतु राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अपीलीय अधिकारी, श्री जय सिंह अन्वेषण अधिकारी नामित हैं और जन सूचना अधिकारी, श्री विनेश सिंह, प्रशासनिक अधिकारी नामित हैं। आयोग से सम्बन्धित सूचनाएं अभिलेखों एवं तथ्यों के आधार पर निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत दी जाती हैं।

17

आयोग द्वारा दायित्वों के क्रम में पिछड़े वर्गों के विकास की आरक्षण उपरान्त प्रगति का मूल्यांकन करेगा तथा उसका विवरण प्रत्येक 10 वर्षों में अद्यतन कर जारी किये जाने की योजना है। आयोग द्वारा अपने कृत्यों का विवरण वार्षिक रिपोर्ट के रूप में शासन को प्रेषित की जाती है।

पिछड़े वर्गों का जहां आरक्षण है :-

1. सरकारी नौकरियों।
2. शिक्षण संस्थाएं।
3. तकनीकी शिक्षण संस्थाएं (सी0पी0एम0टी0 इंजीनियरिंग के प्रवेश में आरक्षण)
4. सरकारी आवास।
5. सरकारी छात्रावास।
6. विकास प्राधिकरण एवं आवास विकास परिषद के भवन, भूखण्ड तथा व्यवसायिक भूखण्डों में।
7. मण्डी परिषद की दुकानों में।
8. नगर निगम, नगर पालिका द्वारा निर्मित दुकानों में।

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की अनुमन्य सूची में सम्मिलित जातियाँ
(अद्यावधिक)

1	अहीर, यादव, ग्वाला, यदुवंशीय, भुर्तिया	41	भुर्जी, भड़भुजा, भूँज, कांदू, कशोधन
2	सोनार, सुनार, स्वर्णकार	42	भठियारा
3	जाट	43	माली

4	कुर्मी, चनऊ, पटेल, पटनवार, कुर्मी-मल्ल, कुर्मी-सैथवार	44	स्वीपर (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हों), हलालखोर
5	गिरि	45	रिक्त
6	गूजर	46	लोनिया, नोनिया, गोले-ठाकुर, लोनिया-चौहान
7	गोसाई	47	रंगरेज, रंगवा
8	लोध, लोधा, लोधी, लोट, लोधी राजपूत	48	मारछा
9	कम्बोज	49	हलवाई, मोदनवाल
10	अरख, अर्कवंशीय	50	हज्जाम, नाई, सलमानी, सविता, श्रीवास
11	काछी, काछी-कुशवाहा, शाक्य, कोइरी, सैनी, मुराव व मुराई, मौर्य	51	राय सिक्ख
12	कहार, कश्यप	52	सक्का-भिस्ती, भिस्ती-अब्बासी
13	केवट, मल्लाह, निषाद, बिन्द	53	धोबी (जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हों)
14	किसान	54	कसेरा, ठठेरा, ताम्रकार
15	रिक्त	55	नानबाई
16	कुम्हार, प्रजापति	56	मीरशिकार
17	कसगर	57	शेख सरवरी (पिराई), पीराही
18	कुंजड़ा या राईन	58	मेव, मेवाती
19	गड़ेरिया, पाल, बघेल	59	कोष्टा/कोष्टी
20	गददी, घोसी	60	रोड़
21	चिकवा, कस्साव, कुरैशी, चक	61	खुमरा, संगतराश, हंसीरी
22	छीपी, छीपा	62	मोची
23	जोगी	63	खागी
24	झोझा	64	तंवर सिंघाड़िया
25	डफाली	65	कतुआ
26	तमोली, बरई, चौरसिया	66	माहीगीर
27	तेली, सामानी, रोगनगर, साहू, रौनियार, गन्धी, अर्काक	67	दांगी
28	दर्जी, इदरीसी, काकुत्स्थ	68	धाकड़
29	धीवर	69	गाडा
30	नक्काल	70	तंतवा
31	नट (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हों)	71	जोरिया
32	नायक	72	पटवा, पटहारा, पटेहरा, देववंशी

33	फकीर	73	कलाल, कलवार, कलार
34	बंजारा, रंकी, मुकैरी, मुकैरानी	74	मनिहार, कचेर, लखेरा
35	लोहार, लोहार-सैफी, बढई, बढई-सैफी, विश्वकर्मा, पांचाल, रमगढिया, जागिड, धीमान	75	रिक्त
36	बरी	76	मोमिन (अंसार)
37	बैरागी	77	मुस्लिम कायरथ
38	रिक्त	78	मिरासी
39	बियार	79	नददाफ (धुनिया), मन्सूरी, कन्डरे, कड़ेरे, करण (कर्ण)
40	भर, राजभर		

शिकायत किस पते पर करें:-

अध्यक्ष,

उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग,

तृतीय तल, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ

फोन नं०:- 0522-2287243

0522-2287076 (ई0पी0वी0एक्स0)

फैक्स नं०:- 0522-2287215

जनसूचना हेतु सम्पर्क किये जाने के लिए दूरभाष नम्बर :-

1- श्री कृष्ण कुमार, शोध अधिकारी/प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

फोन नं० :-0522-2287076

2- श्री विनेश सिंह, प्रशासनिक अधिकारी/जनसूचना अधिकारी

फोन नं० :-0522-2287076